



2026:AHC: 10379

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 42702/2025

जगदीश चंद्र और 8 अन्य

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा जिलाधिकारी और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- वर्तमान रिट याचिका दायर करने के बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्री में पूरक शपथ-पत्र के साथ-साथ संशोधन आवेदन भी दायर किया गया है, जो अभिलेख पर नहीं है।
- 2- कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को बल न देने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है, साथ ही बेहतर अभिकथनों और दस्तावेजों के साथ नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरक शपथ-पत्र और संशोधन आवेदन में संलग्न किया गया है।
- 3- प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
- 4- रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।
- 5- कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी छायाप्रति अभिलेख पर रखने के बाद, वापस कर दे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।